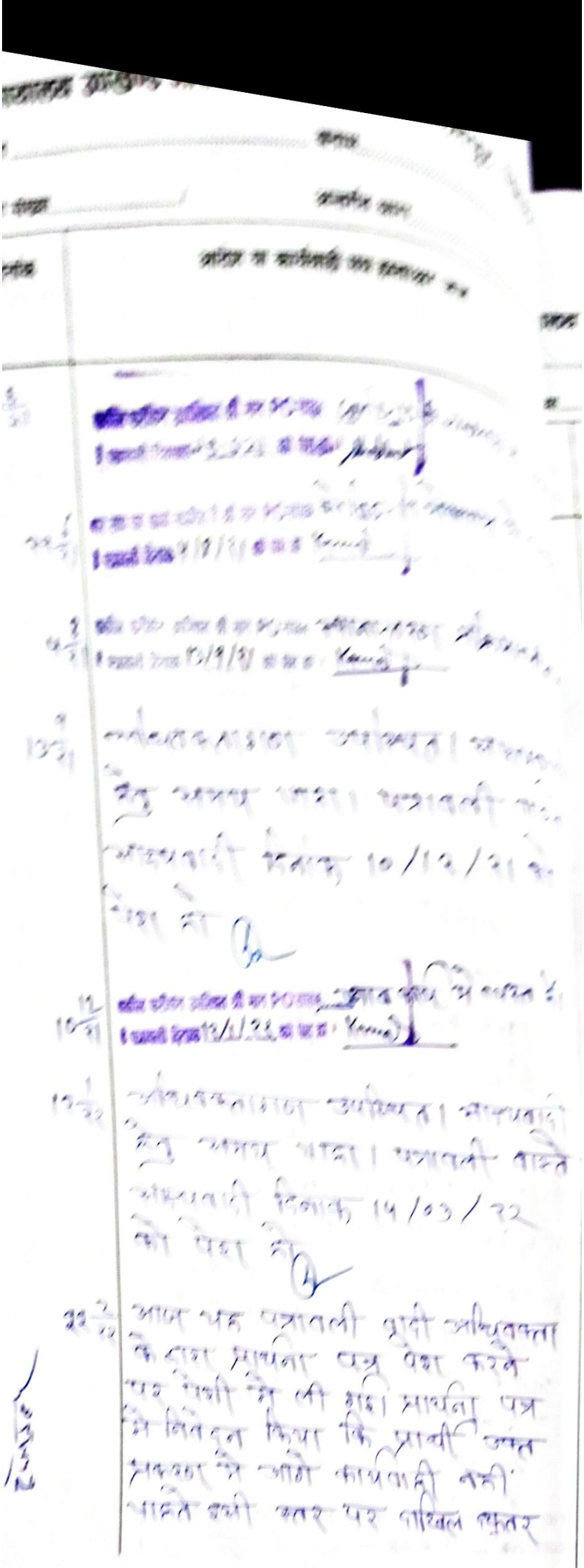

यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला श्री गंगानगर

..... बनाम.....

संख्या...../ अन्तर्गत धारा.....

कि	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए

किया जावे। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी द्वारा वादपत्र रीप्रेस करने पर प्रार्थी/वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88/188/91/92A RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)